न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ दिनांक

प्रार्थीगण :-

1.लुम्भाराम 2.पूनमाराम 3.भीखाराम पि.केसराराम 4.धापूदेवी पत्नि केसराराम जातियान मेघवाल, निवासी तारातरा मठ तहसील चौहटन , जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1. रतनाराम 2.माधाराम 3.दीपाराम 4.मंगलाराम पि.दुर्गाराम, जातियान रबारी 5.राणसिंह पुत्र भीखसिंह, जाति राजपूत 6.जसाराम पुत्र ईशराराम, जाति जाट निवासी तारातरा 7.भीमसिंह पुत्र मेहदानसिंह 8.जबरसिंह पुत्र भीमसिंह, जाति राजपूत, निवासी आकोड़ा, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 51/2019 दिनांक : **20.06.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र तारातरा मठ के मौजा गोमरख धाम के खेत खसरा सं. 1426/116 रकबा 40.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1314 to 1317 दिनांक 20/06/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण लुम्भाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण रतनाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.09.21 12:26:09 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन